

अध्यायः II : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

2.1 मूल्य स्थिरता फंड स्कीम

वाणिज्य विभाग (डी.ओ.सी) ने अप्रैल 2003 में 10 वर्षों के लिए मूल्य स्थिरता फंड स्कीम (पी.एस.एफ.एस) शुरू की, जिसका उद्देश्य चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू पैदा करने वाले 3.42 लाख छोटे किसानों को सरकारी एजेंसियों (द्वारा अधिप्राप्ति) गतिविधियों के अभ्यास का सहारा लिये बिना, जिसके पास चार हेक्टेयर तक की जमीन थी, को उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जब मूल्य निर्धारित स्तर से नीचे आ गया हो। मूल्य स्थिरता फंड ट्रस्ट (पी.एस.एफ.टी) स्कीम के संचालन के लिये नोडल एजेंसी था। पी.एस.एफ.टी को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के सैटलर के रूप में 11 सितम्बर 2003 को पंजीकृत किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत, भारत सरकार के लोक लेखे में 500 करोड़ रूपये का एक कॉरपस रखना था। फंड को, ₹482.88 करोड़ सरकारी और उत्पादकों को ₹17.12 करोड़ (प्रवेश शुल्क के तौर पर) के अंशदान से सृजन करना प्रस्तावित था। कॉरपस पर अर्जित ब्याज¹ पी.एस.एफ.टी. को स्कीम के क्रियान्वयन के लिये देना था। कॉरपस फंड को बिना छेड़छाड़ किये केवल, अर्जित ब्याज को ही स्कीम के परिचालन के लिए उपयोग करना था। डी.ओ.सी. ने (अप्रैल 2003) पी.एस.एफ.एस. के संचालन और संवीक्षा के लिए एक उच्च प्रभाव समिति (एच.पी.सी) का गठन किया। सरकार और उत्पादकों का वास्तविक अंशदान 31 मार्च 2013 को क्रमशः ₹432.88 करोड़ और ₹2.67 करोड़ रूपये था।

पी.एस.एफ.एस. सामान्य तेजी संकट वाले वर्षों में, प्रत्येक संकट वाले वर्ष में, प्रत्येक योग्य उत्पादक द्वारा ₹1000 की निकासी के प्रावधान के साथ उत्पादक और सरकार के अंशदानों के सिद्धांत पर आधारित था। उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के रूप में ₹500 (वापिस न होने वाले) जमा करने आवश्यक थे, जो कि पी.एस.एफ.टी के कॉरपस का भाग होगा। प्रत्येक वर्ष एच.पी.सी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के 7 वर्षों का औसत परिचाय को +/-20% की रेंज के भीतर एक मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड (पी.एस.बी) घोषित करेगा। यदि घरेलू मूल्य बैंड

¹ जोकि विशिष्ट जमा योजना (SOS) में सामान्य भविष्य निधि में समय-समय पर लागू था।

के अन्दर होगा तो वर्ष को 'सामान्य वर्ष' घोषित किया जायेगा और पी.एस.एफ.टी. के साथ-साथ उत्पादक को फसल के पी.एस.एफ बचत खाते में ₹500 जमा कराने होंगे। यदि घरेलू मूल्य नीचे वाले बैंड से नीचे गिर जाता है, तो वर्ष को "विपत्ति वर्ष" घोषित किया जायेगा। और पी.एस.एफ.टी. उत्पादक के पी.एस.एफ.एस.बी लेखे में ₹1000 जमा करेगा। इसी तरह, यदि घरेलू मूल्य ऊपर वाले बैंड से ऊपर होगा, तो वर्ष को "तेजी वाला वर्ष" घोषित किया जायेगा और केवल उत्पादक को अपने पी.एस.एफ.बी. लेखे में ₹1000 का अंशदान देना होगा। इस तंत्र प्रणाली से हर वर्ष फसल उगाने वाले के पी.एस.एस.बी. लेखे में ₹1000 जमा होंगे और 10 वर्ष के अन्त तक (स्कीम की अवधि) पी.एस.एफ.एस.बी. लेखों की शेष राशि, सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज सहित उत्पादक द्वारा आहरित हो सकेगी।

डी.ओ.सी. ने जनवरी 2004 में स्कीम के निष्पादन की संवीक्षा की और पाया कि योजना की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही, जिसके कारण स्कीम के संचालन के दौरान विभिन्न समितियों (जैसे जुलाई 2004 में विशेषज्ञ समिति, जुलाई 2006 में टास्क फोर्स, 2007 में मंत्रियों का समूह (जी.ओ.एम) और अक्टूबर 2011 में उप समिति) का गठन किया गया।

विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया (जुलाई 2004) कि विपत्ति वर्ष 1 के दौरान प्रत्येक सदस्य को ₹1000 की क्षतिपूर्ति की जायेगी और पी.एस.एफ ट्रस्ट मे से कुल निकासी ₹34.2 करोड़ तक होगी। विपत्ति वर्ष 2 मे, प्रत्येक सदस्य को ₹5000 की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जायेगी और पी.एस.एफ. ट्रस्ट से कुल निकासी ₹171 करोड़ तक होगी।

टास्क फोर्स ने सुझाव (जुलाई 2006) दिया कि उत्पादकों को धीरे-धीरे पी.एस.एफ उपायों से फसल बीमा से आई.ओ.यू. विकल्पों और उसके बाद वस्तु बाजारों की ओर परिवर्तित हो सकें। जी.ओ.एम ने फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का सुझाव दिया जिसे सी सी ई ए ने अनुमोदित किया था। उप समिति ने निम्नलिखित मसलों पर चर्चा (दिसम्बर 2011) की:

- I. प्लांटेशन सैक्टर के लिए फसल बीमा योजना की रूपरेखा हेतु विधि।
- II. पी एस एफ स्कीम को पुर्नरंचना का प्रस्ताव
- III. अलग इलायची मूल्य स्थिरता फंड (सी.पी.एस.एफ.) की स्थापना का प्रस्ताव और एक ड्राफ्ट संशोधित मूल्य स्थिरता फंड (एम.पी.एस.एफ.)

2013 योजना और एक ड्राफ्ट प्लॉटेशन क्राप बीमा स्कीम (पी सी आई एस) की रूपरेखा बनाई।

यद्यपि, समिति की किसी भी अनुशंसा को नहीं अपनाया गया। इसी बीच, एच पी सी की अनुशंसा पर 2005 से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम (पी.ए.आई.एस.) शुरू की गई।

मार्च 2013 में पी.एस.एफ.एस. में पंजीकरण की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

विवरण	वस्तुएँ				
	रबड़	काफी	चाय	तम्बाकू	कुल
विवरण	1,97,461	71,949	42,619	30,317	3,42,346
लक्षित उत्पादकों की संख्या	18,919	11,594	15,730	0	46,243
31.3.2013 को कुल पंजीकरण	9.6	16.1	36.9	0	13.5
प्रतिशत	5,482	4,474	507	0	10,463
योग्य उत्पादकों की संख्या जिन्हे वित्तीय सहायता निर्गत की गई	13,433	7,034	15,223	0	35,690
चूककर्ता करने वाले/ उत्पादकों जिनकी सहायता लम्बित है की संख्या	71.00	60.67	96.78	0.00	77.18
पंजीकरण के विपरीत चूक करने वालों की प्रतिशत	2.8	6.2	1.2	0.0	3.1

स्कीम की अनाकर्षित विशेषताओं² के कारण, केवल 46,243 उत्पादकों का पंजीकरण हुआ जैसे कि 3.42 लाख फसल उगाने वालों के प्रारंभिक लक्ष्य के विपरीत 13.5 प्रतिशत ही प्राप्त हुए (मार्च 2013)। इसके अतिरिक्त, उत्पादक, जिन्होंने इस स्कीम में पंजीकरण किया था, साल दर साल अंशदान का भुगतान करने में चूक करते रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शुरुआत में स्कीम में पंजीकरण लक्षित संख्या के 13.5 प्रतिशत तक था, जो कि 31 मार्च 2013 तक घटकर केवल 3.1 प्रतिशत रह गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी तीनों वस्तुएँ (क्योंकि तम्बाकू में कोई पंजीकरण नहीं था) “सामान्य वर्ष” या “तेजी वाले वर्ष” श्रेणी (अनुबंध-I) में मुख्यतः आई, जिससे पता चला कि उत्पादकों का अंशदान सरकारी निकासी से ज्यादा था।

² आने की फीस की मांग, वित्तीय सहायता का निम्न स्तर, निकालने में रुकावटें, निम्न ब्याज दर, मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड का अनुचित डिज़ाइन

मार्च 2014 तक डी.ओ.सी. द्वारा खर्च किये गये ₹8.21 करोड़ के व्यय में से ₹6.23 करोड़ पी.एस.एफ.टी (75.88 प्रतिशत), के प्रशासनिक खर्च पर व्यय हुए और केवल ₹1.98 करोड़ (0.40 प्रतिशत)³ [₹1.53 करोड़ (0.31 प्रतिशत)⁴ पी.एस.एफ.एस. पर और ₹0.45 करोड़ (0.09 प्रतिशत) पी.ए.आई.एस पर हुए], जोकि 31 मार्च 2014 को ₹490.25 करोड़ अर्जित ब्याज में से लक्षित लाभार्थियों द्वारा उपयोग किया गया।

समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वित न होने के कारण जुलाई 2014 तक न तो कोई संशोधित स्कीम अनुमोदित की गई न ही कोई वर्तमान स्कीम को समापन की निर्धारित अवधि यानी मार्च 2013 से आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त व्यय विभाग योजना आयोग की सलाह के बावजूद, डी.ओ.सी. द्वारा जुलाई 2014 तक कॉरपस फंड में पड़ी राशि को भारत की समेकित निधि में जमा करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी पाया गया कि पी.एस.एफ.टी. का प्रशासनिक ढाँचा अभी भी मौजूद है और इस संबंध में लगातार व्यय हो रहा है।

2.1.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं, जिसके कारण यह शुरू नहीं हो पाई और अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही:

1. पी.एस.एफ. योजना की अवधारणा और रूपरेखा

योजना शुरू नहीं हो पाई और कॉरपस के सृजन का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि अर्जित ब्याज का केवल 0.40 प्रतिशत ही, सामान्य/ विपत्ति वर्षों (मार्च 2014) के दौरान, स्कीम से सहायता प्रदान करने में उपयोग किया गया, क्योंकि इसके रूपरेखा/विचार धारणा में ही निम्नलिखित कमियाँ थीं।

- सहायता की मात्रा

वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर ₹1000 की सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिये कोई विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.सी. ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मुद्रास्फीति निकालने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई।

³ ((₹1.53+₹0.45)×100)/ ₹490.25

⁴ (₹1.53×100)/ ₹490.25

उदाहरण के तौर पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉफी रोबस्टा के 2000-01 के मूल्यों के आधार पर, मूल्यों (विपत्ति वर्ष) में 20 प्रतिशत की तेज गिरावट के कारण, ₹9,381.20 प्रति हैक्टेयर की आय में कमी (चार हैक्टेयर के लिये ₹37,524.80) के साथ-साथ ₹1,367.70 प्रति हैक्टेयर (चार हैक्टेयर के संबंध में ₹5,470.80) का वास्तविक नुकसान होगा। इस प्रकार स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई ₹1000 वित्तीय सहायता, उत्पादकों की आय में भारी कमी के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई करने में अपर्याप्त थी।

• मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड (पी.एस.बी.) का डिजाईन

➤ उत्पादन की लागत की अपेक्षा पूर्व मूल्यों के परिचालित औसत की अवधारणा को अपनाना

ज्यादातर उत्पादकों और वस्तु बोर्ड, प्लांटेशन वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर पी एस एफ स्कीम को बनाने के पक्ष में थे, और पी.एस. एफ को उत्पादकों के द्वारा एक समाधान के रूप में नहीं देखा गया। यद्यपि नैशनल काउन्सिल फॉर एप्लाईड इक्नोमिक रिसर्च (एन.सी.ए.आर) स्टडी और ओपरेशनल मॉडलेटीज कमेटी (ओ.एम.सी) ने निष्कर्ष निकाला कि व्यवहारिक रूप से एक मूल्य स्थिर करना असंभव था, जो प्रत्येक किसान के उत्पादन की लागत को कवर करें और पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के परिचालित औसत की अवधारणा की अनुशंसा की। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि देश में छोटे उत्पादक कुछ ही स्थानों पर केन्द्रित (अनुबंध-II) थे। परिणामस्वरूप केवल इन छोटे उत्पादकों को प्रभावित करने वाले घटकों/स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उत्पादन की लागत, राजस्व आय वसूलने को आंकड़न करने के लिए विश्वसनीय सूचक समझा जा सकता था।

➤ चौड़े प्राईस स्पैक्ट्रम बैंड का निर्धारण करना

एक आदर्श बैंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्राईस बैंड को आदर्श स्वरूप मानक के साथ साथ कुशल तथ्य दर्शाना चाहिए। एन.सी.ए.आर. में पाया गया कि संकीर्ण बैंड से सरकार को लागत ज्यादा पड़ती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जैसा कि ओ.एम.सी. में उल्लेख है कि कॉरपस से प्राप्त संभावित वार्षिक व्याज सभी वर्षों में विपत्ति वर्ष सहित सभी लक्षित उत्पादकों को सहायता प्रदान करने में पर्याप्त थी। इस प्रकार, एक वाईड अपेक्षाकृत बैंड को

अपर्याप्त निर्धारण के कारण, पी.एस.एफ.एस. में निधियों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हुआ।

- **सभी वस्तुओं के लिये सहायता की एकल मात्रा और 40 प्रतिशत एकल बैंडविड्थ का प्रावधान**

एन.सी.ए.ई.आर. ने अपने अध्ययन में कहा कि इन वस्तुओं के उत्पादन की इकाई लागत बहुत भिन्न थी और उत्पादन की कोई एकल लागत नहीं थी क्योंकि यह फॉर्म के आकार, क्षेत्र और अन्य तत्वों जैसे मिट्टी के प्रकार, भूमि, उर्वरकों और कीटनाशकों, मजदूरी इत्यादि के अनुसार भिन्न था। फिर भी ओ.एम.सी. ने ऊपर वर्णित भिन्नताओं पर विचार नहीं किया और सभी वस्तुओं के लिये ₹1000 की सहायता की एकल मात्रा की अनुशंसा की। यद्यपि, एन.सी.ई आर अध्ययन ने दर्शाया कि रबड़ और तम्बाकू की औसत इन्ट्रा-ईयर प्राईस भिन्नता (1980 और 1990 के दौरान) 20 और 30 प्रतिशत के बीच था, जबकि चाय और कॉफी 35 और 47 प्रतिशत के बीच था, उत्पादकों के लिये वित्तीय राहत के प्रावधान के अलग व्यवहार की अपेक्षा सभी वस्तुओं के लिये 40 प्रतिशत के एकल बैंडविड्थ की अनुशंसा की।

- **मूल्यों के चक्रीय उतार-चढ़ाव**

चाय, अरेबिका कॉफी, कॉफी रोबस्टा, और रबड़ (**अनुबंध III** में दर्शाये गये द्व्यौरे) के पिछले 19 वर्ष (1994-2012) के दौरान विश्लेषण में पाया कि वर्ष दर वर्ष मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव थे। यह पाया कि तुलनात्मक अवधि में अधिकतर 4-5 वर्षों के मूल्यों में तेजी के बाद के समय में मूल्यों में हमेशा गिरावट रही। इस प्रकार, इन वस्तुओं के मूल्यों में भिन्नता स्वभाव से चक्रीय थी। मूल्यों में गिरावट को मूल्यों में तेज बढ़ोतरी के साथ पाया गया। इस प्रकार, मूल्यों में गिरावट की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा वहन किये गये नुकसानों (मूल्य गिरने के कारण) को आने वाले वर्षों में मूल्यों में तेज बढ़ोतरी से पूरा किया सकता था। इसके अलावा मूल्य में बढ़ोतरी के चलन मूल्यों में ड्रॉप की तुलना में ज्यादा पाये गये।

डी.ओ.सी. ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) कि वह स्कीम की अवधारणा में कमियों के बारे में शुरूआती दौर से ही अवगत था। उत्पादन के लागत की अपेक्षा मूल्यों में परिचालित औसत की धारणा को अपनाने के संबंध में डी.ओ.सी ने परिचालित औसत अवधारणा को अपनाने की सरलता पर जोर

दिया। डी.ओ.सी ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति ने 2005 में 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत/15 प्रतिशत से पी.एस.बी. को कम करने की सलाह दी, जिसे एम.पी.एस.एफ. के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया। एकल बैंडविड्थ और एकल मात्रा के संबंध में, यह कहा जाता है कि आवश्यकता को अच्छी तरह दर्शाने के लिये एक सांकेतिक आँकड़ा लेने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, जागरूकता के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कीम में कमियों को दूर करने के लिये डी.ओ.सी. ने कोई विश्लेषण करने के प्रयत्न नहीं किये।

2.1.2 पी.एस.एफ स्कीम का क्रियान्वन

- पी.एस.एफ. द्वारा चूककर्ताओं के कोई आंकड़े नहीं रखे गये। लेखापरीक्षा को वस्तु बोर्ड से तिमाही विवरणियाँ प्राप्त होने के कोई सबूत भी नहीं मिले, जिसमें बैंकों द्वारा चूक की राशि को वापिस करने से संबंधित सूचना हो। लेखापरीक्षा में पाया कि बहुत से उत्पादकों/सदस्यों द्वारा, पी.एस.एफ लेखों में अपना अंशदान जमा कराने में हुई चूक के कारण पी.एस.एफ.टी. के पास ₹468.32 लाख⁵ का भुगतान लम्बित है।
- स्कीम दिशानिर्देशों के पैरा 7 के विरोध में चाय वस्तु और रबड़ बोर्ड ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिए पी.एस.एफ. के लिये कोई अलग बैंक खाता नहीं बनाया। इसके अभाव में, पी.एस.एफ. निर्गतों का वास्तविक उपयोग/विमोचन लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
- स्कीम के खत्म होने पर, पी.एस.एफ.टी. ने वस्तु बोर्डों को दिशानिर्देश दिये (मई 2013) कि फसल उगाने वालों को पी एस एफ बचत बैंक खातों के पूरे शेष को निकालने की इजाजत सरकारी सहायता निकासी न करने के आश्वासन और चूककर्ताओं के संबंध में सरकारी लेखों में जमा के बिना दें।
- अनुमोदित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, 31 मार्च 2014 को पी.एस.एफ कोरपस में ₹13.50 करोड़ की कमी थी।
- पी एस एफ स्कीम, मार्च 2013 में खत्म हो गई। फिर भी डी.ओ.सी ने अगले 10 वर्षों के लिये ट्रस्ट का पंजीकरण बढ़ा दिया, इस के बावजूद कि पी एस एफ स्कीम 2003 न तो बढ़ाई गई थी न ही कॉरपस फंड में

⁵ चाय ₹365.28 लाख, काँफी ₹35.89 लाख और रबड़ ₹67.15 लाख

स्थानांतरण के लिए कोई नई/संशोधित स्कीम नहीं लाइ गई थी। परिणामस्वरूप, पी.एस.एफ.टी अभी भी प्रचलन में थी और अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान, ₹58.73 लाख का व्यय प्रशासनिक उद्देश्यों पर किया गया।

डी.ओ.सी. का उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।

2.1.3 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम

- पी.ए.आई.एस. सक्षम प्राधिकारी, इकनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के अनुमोदन के बिना सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में ₹25000 प्रति उत्पादक कवर के साथ पी.एस.एफ. स्कीम के फसल उत्पादक सदस्यों के लिये 2005 में शुरू किया गया। पी.ए.आई.एस, सी.सी.ई.ए. द्वारा जून 2002 और फरवरी 2003 विचार किये गये मूल प्रस्तावों में भी शामिल नहीं था। मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए बीमा कवर को ₹25000 से ₹1.00 लाख बढ़ाने के लिए सी.सी.ई.ए. का अनुमोदन मार्च 2007 में ही प्राप्त किया जा सका। अतः पी.ए.आई.एस. बिना किसी अनुमोदन के दो साल तक क्रियाशील रही।
- पी.ए.आई.एस. के उद्देश्यों और पी.एस.एफ योजना के उद्देश्यों में तारतम्य नहीं था।
- रबड़ एवं तम्बाकू क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बीमा योजना, पी.ए.आई.एस के साथ-साथ चल रही थी।
- यह भी देखा गया कि पी.ए.आई.एस. में मुख्य भागीदारी तम्बाकू क्षेत्र से थी तथा पी.ए.आई.एस के दिशा-निर्देशों में इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया कि पी.ए.आई.एस. के तहत किये गए दावों के संदर्भ में अन्य योजनाओं से प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त की गयी थी।
- पी.ए.आई.एस. के लिए चाय, रबड़, कॉफी, तम्बाकू तथा मसालों के क्षेत्रों के उत्पादकों को एक मुश्त ₹100 का प्रवेश शुल्क देकर, पी.एस.एफ योजना का सदस्य बनाने के लिए दिसम्बर, 2008 में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के बिना, योजना संशोधित कर दी गयी। लेखा परीक्षा जाँच ने, हाँलाकि, उदघाटित किया कि माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने (नवम्बर 2007) में अनुमोदित किया कि “मसाला क्षेत्र के

लिए 4 हेक्टेयर तक के बागवानी के उत्पादकों के लिए सदस्यता शुल्क ₹100 तथा 4 हेक्टयर से ऊपर के लिए ₹500 होगा।” नामांकन शुल्क में कमी के बावजूद, पी.ए.आई.एस. योजना की सदस्यता संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई क्योंकि 57.17 लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल सदस्य संख्या केवल 4.46 लाख थी (7.8 प्रतिशत)।

डी.ओ.सी द्वारा पी.ए.आई एस को प्रारम्भ करने तथा समवर्ती योजनाओं को चलाने के संदर्भ में कोई विशिष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। नामांकन शुल्क में कमी के संदर्भ में डी.ओ.सी ने कहा (दिसम्बर 2014) कि नामांकन शुल्क में कमी को दिसम्बर, 2008 में अनुमोदित किया गया था। हाँलाकि, अनुमोदन की प्रतिलिपि प्रतीक्षित है। (मार्च 2015)

2.1.4 निम्न स्तरीय निगरानी

- पी.एस.एफ योजना के दौरान (2003-13) एच.पी.सी की 27 मार्च 2006 तक मात्र 10 वैठकें हुई। इसके पश्चात, योजना की समाप्ति के बाद इसे (जुलाई 2014) पुनर्गठित किया गया। इस प्रकार पी.ए.आई.एस दो साल तक बिना किसी अनुमोदन के परिचालन में रही। इस प्रकार योजना के कार्यान्वय के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए तथा योजना से सम्बंधित नीतिगत विषयों पर निर्णय के लिए निर्दिष्ट तंत्र अनुपस्थित रहा।
- योजना दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि प्रत्येक उत्पादक बोर्ड को प्राप्त निधियों का विवरण तैयार करना चाहिए तथा पी.एस.एफ.टी को भेजने के लिए त्रैमासिक विवरणिका तैयार करना चाहिए। लेखा परीक्षा जाँच ने हाँलाकि दर्शाया कि:
 - ❖ पी.एस.एफ.टी के अभिलेखों में कोई विवरणिका उपलब्ध नहीं थी।
 - ❖ त्रैमासिक विवरणिका के प्रारूप में सदस्यों का अंशदान, बकायेदारों के खातों की संख्या तथा वापस की जाने वाली राशि से सम्बंधित सूचना को मंगवाँने का उल्लेख नहीं था।
 - ❖ पी.एस.एफ.टी. ने (सितम्बर 2014) गलत व्यक्तव्य दिया कि सभी आँकड़ों को उत्पाद बोर्ड द्वारा बनाया जाना चाहिए था, तथा दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान/प्रारूप नहीं था जिसमें उत्पाद बोर्ड द्वारा

पी.एस.एफ.टी. को बैंक खातों के कार्यान्वयन/बंद होने से सम्बंधित आँकड़े भेजे जायें।

- यह देखा गया कि चूककर्ताओं की संख्या में वार्षिक बढ़ोतरी हो रही थी। हाँलाकि लेखापरीक्षा ने चूक तथा एस.बी. खातों के बंद होने के संदर्भ में कोई अभिलेख नहीं पाया।
- उत्पादकों के अशंदान की प्राप्ति से सम्बंधित मूलभूत आँकड़ों के अभाव के बावजूद, पी. एस.एफ.टी. उत्पाद बोर्ड को मात्र उनकी माँग के आधार पर निधि निर्गत कर रही थी।
- पी.एस.एफ.एस. ने पाँच वर्षों वाद भी बिना समीक्षा के योजना जारी रखी जो कि योजना के संकल्पना के अनुसार आवश्यक थी।
- लेखा परीक्षा ने पाया कि यदि उत्पादकों से प्राप्त नामांकन शुल्क/ अंशदान पर विचार किया गया होता तो प्रारम्भिक अवस्था में ही पी.एस.एफ.टी की राशि कम हो जाती तथा आठ वर्षों के लिए ₹432.88 करोड़⁶ राशि को निष्प्रयोज्य होने से बचाया जा सकता था।
- यद्यपि पी.एस.एफ.एस तथा इसकी परिचालन प्रक्रिया में चिह्नित अवरोधों का विभिन्न समितियों द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया था, फिर भी वे कभी दूर नहीं किये गये।
- पी.एस.एफ.एस. मार्च 2013 में समाप्त हो गयी; हाँलाकि, डी.ओ.सी के ट्रस्ट के पंजीकरण को अगले 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया तथा पी.एस.एफ. कॉर्पस राशि ₹918.53 करोड़ (मार्च 2014) को अपने पास रखा। लेखा परीक्षा ने पाया कि एक नवीन बीमा प्रीमियम छूट योजना परामर्श के स्तर पर थी। ऐसे परिवृश्य, में पी.एस.एफ.टी. के पास कॉर्पस निधि का होना न्याय संगत नहीं था।

डी.ओ.सी. द्वारा अपने उत्तर में कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, वह उद्देश्य जिसके लिए पीएसएफ योजना प्रारम्भ की गई, अप्राप्य रहा जैसा कि योजना की संकल्पना में कमियों अर्थात् अपर्याप्त सहायता, मूल्य

⁶ कुल सरकारी अंशदान

स्पैक्ट्रम बैंड की अभिकल्पना, एकल बैंडविड्थ तथा राशि सभी वस्तुओं के लिए इत्यादि के कारण उत्पादकों को आकृष्ट नहीं कर पायी, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जो कि मुख्यतः योजना के प्रशासन पर था तथा 31 मार्च 2014 को ₹918.53 करोड़ की राशि निष्प्रयोज्य पड़ी रही।

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद

2.2 सेवा कर के संग्रहण न होने के कारण परिहार्य व्यय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का अधिसूचित वस्तुओं के निर्यातकों से निरीक्षण और प्रमाणन पर सेवा कर के संग्रहण के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को समय पर निर्देश देने की विफलता के परिणाम स्वरूप ₹9.98 करोड़ की हानि हुई।

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद (इ.आई.सी) 1 जनवरी 1964 को निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम 1963 के खण्ड 3 के तहत भारत सरकार (भा.स.) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण तथा उससे संबंधित मामलों के में से निर्यात उद्योग के उचित विकास हेतु स्थापित किया गया था। इ.आई.सी को उसके कार्यों में सहायता, अधिनियम के खण्ड 7 के तहत स्थापित चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता तथा मुम्बई में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ई.आई.ए) द्वारा की जाती है। इ.आई.सी का कार्यादेश निर्यात हेतु विचार की गयी वस्तुओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन हेतु कदमों के विषय में केन्द्र सरकार को सलाह देना है। निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन इ.आई.ए. द्वारा किया जाता है जिसके लिए वे ऐसे शुल्क प्रभारित करते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित हो। इ.आई.सी, इ.आई.ए के कर्मचारियों, लेखाओं तथा अभिलेखों पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधिकार का प्रयोग करता है।

वित्त अधिनियम 2003 ने सेवा के सात नये मदों जिसमें ‘तकनीकी परीक्षण तथा विश्लेषण, तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन’ शामिल हैं, उस दिनांक से, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी होगी पर सेवाकर उद्ग्रहीत किया। तत्पश्चात, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 7/2003-सेवा कर दिनाँक 20 जून 2003 द्वारा 1 जुलाई 2003 की तिथि निर्धारित की जिस तिथि से उपरोक्त सेवाओं पर सेवा कर प्रभाव में आएगा। इस प्रकार इ.आई.ए द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली प्रमाणन एवं परीक्षण सेवाएं, 01

जुलाई, 2003 से प्रभावी सेवा कर के दायरे में आयीं। परिणाम स्वरूप, सेवा कर प्राधिकारी, इ.आई.ए तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से सेवा कर तथा दण्ड ब्याज की माँग कर रहे थे। हाँलाकि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (इ.आई.सी का प्रशासकीय मंत्रालय) ने अपने पत्र (नवम्बर, 2004) में अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क परिषद (सी.बी.इ.सी) के माध्यम से इस आधार पर कि इ.आई.ए द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं सांविधिक प्रवृत्ति की थी, इ.आई.सी/इ.आई.ए पर सेवा कर के लागू होने से छूट माँगी थी। आगे यह तर्क दिया गया कि इन अधिकरणों द्वारा ये सेवाएं अधिसूचित दरों/शुल्कों पर उपलब्ध करायी जा रही थी जो कि उनके द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती थी और इस प्रकार अभिकरणों, सेवा कर संग्रह तथा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि उनके सांविधिक दायित्वों कर योग्य सेवाओं के रूप में नहीं बनाया जा सकता था। प्रत्युत्तर में अध्यक्ष, सी.बी.इ.सी ने स्पष्ट किया (मार्च 2006) कि सेवा कर सेवा की प्रवृत्ति के आधार पर अधिभारित किया गया था न कि सेवा प्रदाता की परिस्थिति के आधार पर, इसलिए परिषद एवं इसके क्षेत्रीय संगठनों को सेवा कर में छूट नहीं दी जा सकती थी। सी.बी.इ.सी के स्पष्टीकरण के प्रसंग में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इ.आई.सी को निर्देश (अप्रैल, 2007) दिया कि वह सेवा कर के संग्रह का मार्ग तलाश करे। इसके अनुसार, इ.आई.सी ने अपनी 101वीं बैठक (दिसम्बर 2007) में 01 अक्टूबर 2007 से इ.आई.सी/इ.आई.ए के सेवाओं के उपभोक्ताओं से सेवा कर के संग्रह प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। इ.आई.सी ने लेकिन निर्यातकों से सेवा कर संग्रह करना 1 दिसम्बर 2013 से प्रारम्भ किया। इ.आई.सी ने (सितम्बर 2014) इ.आई.ए की तरफ से, 01 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2013 के अवधि के लिए ₹9.98 करोड़⁷ सेवा कर जमा किया, तथापि इस अवधि के लिए सेवा कर निर्यातकों से संग्रह नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अध्यक्ष सी.बी.ई के स्पष्टीकरण, प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये जाने तथा इ.आई.सी के अपनी 101वीं बैठक में निर्णय लिये जाने के बाद भी इ.आई.सी सेवा कर के प्रति अपनी जिम्मेदारी लगभग 10 वर्ष के लिए टालती रही। इस प्रकार इ.आई.सी से किसी निर्देशों के अभाव में, इ.आई.ए ने निर्यातकों से सेवा कर की वसूली नहीं करी।

⁷ दिल्ली इ.आई.ए. ₹2.01 करोड़ मुम्बई ₹2.13 करोड़ चेन्नई ₹2.07 करोड़, कोलकाता ₹1.90 करोड़, कोचि ₹1.87 करोड़

प्रबन्धन ने (अक्टूबर 2014 में) लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल तथ्य एवं आकंड़ों की पुष्टि करते हुए 01 जुलाई 2012 से अपनी सेवा कर देयता को माना।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 2012 से निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं पर सेवा कर संग्रहण एवं जमा करने की इ.आइ.ए की देयता स्वीकार करने के बावजूद भी इ.आइ.सी ने इ.आइ.ए को आवश्यक निर्देश नहीं दिये। परिणामस्वरूप इ.आइ.ए की तरफ से, इ.आइ.सी को अपने स्वयं के संसाधनों से 01 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2013 की अवधि के लिए ₹9.98 करोड़ का सेवा कर जमा कराना पड़ा।

इस प्रकार इ.आइ.सी. का इ.आइ.ए को अधिसूचित वस्तुओं के निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं पर निर्यातकों से सेवा कर का संग्रह करने के सामयिक रूप से निर्देश देने में हुई अनिर्णायकता के फलस्वरूप निर्यातकों की तरफ से 1 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹9.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। इ.आइ.ए ने 1 दिसम्बर 2012 के पूर्ववर्ती कार्य के लिए सेवा कर की वसूली नहीं थी जिसके लिए वर्ष 2013-14 के लेखा पुस्तकों में ₹28.99 करोड़ की आकस्मिक देयताएँ भी उद्घटित हुई। यह सम्भावना है कि इ.आइ.सी को इस राशि का भी भुगतान करना पड़े।

मंत्रालय को यह मामला प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2015), उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय टी बोर्ड

2.3 चाय के घरेलू संवर्धन हेतु भारतीय टी बोर्ड के चाय केन्द्रों को चलाने हेतु ₹7.27 करोड़ का निष्फल व्यय

टी बोर्ड ने वर्षों से हो रहे अत्याधिक घाटे तथा अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति न कर पाने के बावजूद भी विभिन्न चाय केन्द्रों जो चाय के घरेलू संवर्धन हेतु स्थापित किये गये थे का संचालन जारी रखा।

चाय अधिनियम 1953 के खंड-4 के अंतर्गत टी-बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना शीर्ष निकाय के तौर पर की गई जो कि भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिये प्रमुख भूमिका निभाता है। बोर्ड के क्रियाकलापों में शामिल है, कृषि हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता, चाय का उत्पादन और विपणन, अनुसंधान

और विकास के क्रियाकलापों में सहायता देना तथा स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय के उपभोग को बढ़ाते हुए संवर्धन क्रियाकलापों को पूरा करना।

घरेलू बाजार में संवर्धन और जनसमूह के बीच चाय की खपत को बढ़ाने हेतु बोर्ड ने घरेलू मेले और प्रदर्शनियों में भागीदारी द्वारा तथा प्रकाशित और प्रदर्शित मीडिया में विज्ञापन देने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त बोर्ड सात चाय-केन्द्रों⁸ का संचालन भी करता है, नई दिल्ली के संसद भवन, उद्योग भवन, वित्त मंत्रालय और योजना भवन, दक्षिण भारत के चेन्नई सचिवालय तथा सी.एम.बी.टी.-कोएमबेडू, चेन्नई और तिरुमला, तिरुपति जहां चाय मामूली दरों पर दी जाती है ताकि इसके उपभोग को लोकप्रिय बनाया जा सके। इन केन्द्रों के दैनिक संचालन हेतु गैर-योजना और योजना बजट के तहत नियमित निधियां बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, लम्बी अवधि से, बोर्ड के द्वारा संचालित चाय की इकाईयाँ जोकि नई दिल्ली और दक्षिणी भारत में विभिन्न स्थानों पर हैं, चाय को सहायता दरों पर बेच रही हैं जिससे चाय का बिक्री मूल्य स्थिर रहा है। बोर्ड ने चाय सेवा को अपने सीमित बजट संसाधनों से निधियां प्रदान करके जारी रखा। हालाँकि चाय, दूध, चीनी और अन्य परिवर्तकों जैसे संघटकों के तेजी से बढ़ते मूल्यों के साथ-साथ स्थापना खर्चों में वृद्धि के कारण बोर्ड को अपने चाय केन्द्रों को चला पाने में घोर कठिनता का अनुभव हुआ।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि :

- चाय के घरेलू संवर्धन के लिये चाय-केन्द्रों द्वारा कुछ भी योगदान नहीं दिया गया। 2008 से 2012 के दौरान प्रति व्यक्ति चाय का उपभोग 701 ग्राम प्रति व्यक्ति और 738 ग्राम प्रति व्यक्ति के बीच में रहा। एक ओर, भारत में चाय का उत्पादन जमीन और मजदूरों की कमी के कारण चाय के उत्पादन क्षेत्रों के सीमित विकास की संभावना से स्थिर रहा तो वही दूसरी ओर, भारतीयों में प्रति व्यक्ति चाय की खपत में वृद्धि केवल 5.28 प्रतिशत ही हो पाई।
- चाय-केन्द्रों की घरेलू खपत की बढ़ोतरी पर सीमित प्रभाव रहा क्योंकि ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों, उच्चाधिकारियों और अतिथियों को विभिन्न मंत्रालय के भवनों में चाय की सेवा प्रदान करते थे। तिरुमला और चेन्नई

⁸ केन्द्र में बार/बुफे/नुक/कक्ष सम्मिलित हैं।

स्थित सी.एम.बी.टी. के चाय-केन्द्रों को छोड़ कर बाकि चाय-केन्द्र मुख्यतः न्यूनतम मूल्यों पर चाय की सेवा-आम जनता का नहीं देते थे बल्कि उन्हीं नियमित ग्राहकों अर्थात् सरकारी विभागीय कर्मचारियों को देते थे। अतः उत्तम गुणवत्ता की चाय न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध होने का लाभ, समाज के बड़े भाग को इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त नहीं हो पाया।

- सभी चाय-केन्द्रों को प्रति वर्ष बार-बार संचालन - घाटा उठाना पड़ा जिसके लिये योजना और गैर-योजना निधि की एक बड़ी राशि बोर्ड द्वारा खर्च की गई। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में ₹11.47 करोड़ (जिसमें ₹3.97 करोड़ संघटकों के तथा ₹7.50 करोड़ स्थापना के शामिल हैं) का खर्च सात चाय-केन्द्रों के संचालन के लिये किया गया। जिसके बदले में केवल ₹4.20 करोड़ की राशि बोर्ड के द्वारा चाय की बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त की गई। अतः वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹7.27 करोड़ का संचालन घाटा इन सात चाय-केन्द्रों को चलाने में बोर्ड को हुआ।
- बार-बार हो रहे संचालन घाटे मुख्यतः संघटकों के मूल्य, स्थापना खर्च में वृद्धि और चाय के मूल्य में आवर्ती अंतराल पर संशोधन न होने से हुए।
- चाय की सेवा न्यूनतम दरों पर, यहां तक कि संघटकों के मूल्य से भी कम पर दी गई (उदाहरणतः संसद भवन, उद्योग भवन और वित मंत्रालय में)। एक कप चाय का मूल्य वर्ष 1989 से उद्योग भवन और वित मंत्रालय में ₹0.88, संसद भवन में वर्ष 2001 से ₹1.00 और योजना आयोग में (वर्ष 2009 से) ₹5.00 रहा। इसके विपरीत, चाय-केन्द्रों में स्थापना लागत (₹3.93 और ₹17.77) प्रति कप के बीच रही और संघटकों का मूल्य ₹2.55 से ₹4.02 प्रति कप चाय का रहा।
- बोर्ड ने योजना आयोग का चाय-केन्द्र बंद कर दिया परंतु उसे योजना आयोग के आग्रह पर चाय के मूल्य को ₹2.25 प्रति ट्रे (दो कप) से ₹10.00 प्रति ट्रे (दो कप) मई 2009 से बढ़ा देने के बाद पुनः खोल दिया गया। यदि ऐसी ही पद्धति अन्य चाय-केन्द्रों के लिए अपनाई होती तो, बोर्ड अपने संचालन घाटे को कुछ हद तक कम कर सकता था।
- केवल मार्च 2011 में, चाय संवर्धन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने अपने संचालन खर्चों के एक अंश की वसूली करने तथा अतिरिक्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चाय-केन्द्रों पर बेची जाने

वाली चाय के मूल्य में संशोधन करने का निर्णय लिया। दक्षिण भारत के विभिन्न चाय-केन्द्रों पर दी जाने वाली चाय-सेवा का मूल्य जुलाई 2011/अक्टूबर 2012 से संशोधित किया गया जबकि ये 24 वर्षों से अधिक समय तक नई दिल्ली के चाय-केन्द्रों में बिना संशोधन के रहा।

- नई दिल्ली में उद्योग भवन, वित मंत्रालय और संसद भवन में परोसी जारही चाय के मूल्य में 1989/2001 से संशोधन नहीं किया गया था क्योंकि यह मंत्रालय की स्वीकृति हेतु लंबित थे। जबकि मंत्रालय का स्पष्ट मत (मार्च 1988 और अक्टूबर 1989) था कि बोर्ड को अपने स्तर पर दरों की तार्किकता को ध्यान में रखकर, मूल्य वृद्धि का निर्णय लेना था।
- लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने अपनी रिपोर्ट (1987-88 की 107वीं रिपोर्ट) में यह सिफारिश की, कि चाय-केन्द्रों पर हो रहे निष्फल व्यय को तुरंत रोक देना चाहिए और बिना देर किए इससे प्राप्त संसाधनों को जोकि धन, सामान और जनशक्ति के रूप में होगी, इससे अधिक लाभप्रद रूप से अन्य उत्पादक कार्यकलापों में इस्तेमाल करना चाहिये। यद्यपि बोर्ड ने पी.ए.सी. की सिफारिश का पालन करने के लिए कोई पहल नहीं की।
- पी.ए.सी. ने अपनी पैंसठवीं रिपोर्ट में (15वीं लोक सभा) (जनवरी 2013) बोर्ड द्वारा योजना से गैर-योजना व्यय में निधियों के विपर्यास, निधियों की अपर्याप्त आंतरिक उत्पत्ति, प्रत्येक क्रियाकलाप हेतु सरकारी समर्थन पर पूर्ण निर्भरता, अशक्त वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रणों के संदर्भ में पुनः अपनी चिंता जतायी। पी.ए.सी. ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की, कि सहायता तथा अन्य सरकारी समर्थन पर निर्भरता को अस्थायी उपशमक व्यवस्था के तौर पर लेना चाहिए जिसे बाद में पूर्णतः हटा कर, अधिक लाभप्रद व्यवस्था की ओर बढ़ाना है।

बोर्ड ने कहा (जुलाई 2013) कि चाय-केन्द्रों का उद्देश्य था कि सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों तथा मिलने वालों को यह जागरूकता प्रदान करना कि भारतीय उच्च गुणवत्ता की चाय को वहनीय मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। सहायता प्राप्त मूल्य ने चाय पीने की स्वस्थ आदत के विकास में योगदान दिया। अतः सहायता प्राप्त मूल्य पर चाय उपलब्ध करने को जारी रखना इस लिये जरूरी था कि ग्राहकों को अच्छे स्वाद की जानकारी देने के उत्तम कार्य को जारी रखा जा सके। बोर्ड का यह मन था कि धीरे धीरे मूल्य को बढ़ाकर, बढ़ी हुई लागत के अनुरूप लाया जाये।

बोर्ड के व्यक्तव्य को इस तथ्य से तुलना करके देखना चाहिये कि चाय का प्रति व्यक्तिगत घरेलू उपयोग इतने वर्षों में भी 750 ग्राम प्रति व्यक्ति पर स्थिर रहा। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त मूल्य का असर जोकि चाय-केन्द्रों में था वह आम आदमी तक नहीं पहुँचा। चाय-केन्द्रों पर चाय के मूल्य में वृद्धि के बोर्ड के निर्णय को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु केवल जून 2011 में ही भेजा गया ताकि बोर्ड के संचालन घाटे के कुछ अंश को पूरा किया जा सके। नई दिल्ली के चाय-केन्द्रों पर मूल्य में संशोधन को तीन वर्ष की देरी के पश्चात् भी अभी लागू (जून 2014) किया जाना है।

लेखा परीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकारते हुए बोर्ड ने अंततः कहा (नवंबर 2013) कि उनके चाय के उत्तम लाभ को बढ़ावा देने के प्रयास को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ - समाज के बड़े भाग के बीच पहुँच सके, इसके लिये चाय-केन्द्रों के संचालन लागत को न्यूनतम रखते हुए, विभिन्न चाय-केन्द्रों पर चाय का मूल्य बढ़ाना चाहिये तथा चाय-केन्द्रों के घरेलू चाय संवर्धन में दिये गये योगदान एवं प्रभाविकता की बारीकी से जांच करनी चाहिये। यह मत सही ढंग से मानते हुए उचित कार्यवाही द्वारा लेखापरीक्षा के चिंता का तुरंत समाधान किया जाएगा। तीन सदस्यों की समिति (नवंबर 2013) बनाई गई जोकि (i) सभी चाय-केन्द्रों की कार्य प्रणाली और वर्तमान स्थिति का पूर्ण अध्ययन करने और चाय-केन्द्रों के संचालन की लागत को न्यूनतम रखने हेतु सिफारिश देने, (ii) चाय-केन्द्रों के पुनरावर्ती संचालन घाटे को कम करने हेतु चाय के अनुकूलतम मूल्य वृद्धि की सिफारिश देने, और (iii) चाय के घरेलू संवर्धन के लिए चाय-केन्द्रों के योगदान और प्रभाव के संबंध में जोकि पी.ए.सी. की सिफारिशों के आधार पर हो, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यद्यपि समिति को 29 जनवरी 2014 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, परंतु यह अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2014)।

अतः चाय के घरेलू संवर्धन के लिए चाय-केन्द्रों का योगदान के तुरन्त समीक्षा करना आवश्यक है और पी.ए.सी. की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा गैर-योजना निधि के अनवरत घाटे जो चाय-केन्द्रों के संचालन के उच्च लागत के कारण हो रहे थे, को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिये।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्तूबर 2014), उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतिक्षित था।